FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ) **P.S. (थाना):** आशियाना **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0143 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 16/03/2021 10:41 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	307
2	भा दं सं 1860	120-B
3	भा दं सं 1860	201
4	भा दं सं 1860	166
5	भा दं सं 1860	166A
6	भा दं सं 1860	167
7	भा दं सं 1860	346

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** रविवार **Date from (दिनांक से):** 09/08/2020 **Date To (दिनांक तक):** 09/08/2020

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date (दिनांक):** 16/03/2021 **Time (समय):** 10:41 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 031

Date and Time (दिनांक और समय):
16/03/2021 10:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** अन्य, 00 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): भिन्न भिन्न ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) Name (नाम): श्रीमती मंजुला तिवारी

(b) Wife's Name (पत्नीका नाम): श्री जितेन्द्रनाथ तिवारी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1976 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	डी -26 , सर्वोदय नगर इंदिरा नगर , गाज़ीपुर, लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	डी -26 , सर्वोदय नगर इंदिरा नगर , गाज़ीपुर, लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 0

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	महेश दुबे दरोगा मो0 न0 9335385589 9454400586			1. अज्ञात,अज्ञात
2	मोहित सोनी आरक्षी मो0नं0879922 2111			1. अज्ञात,अज्ञात
3	बलबन्त कुमार आरक्षी			1. अज्ञात,अज्ञात
4	मु0अ0सं0 408-2020 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित पुलिस कर्मी			1. अज्ञात,अज्ञात
5	मु0अ0सं0 409- 2020 धारा 3 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित पुलिस कर्मी			1. अज्ञात,अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर टाइपशुदा हिन्दी वादिनी श्रीमान ,कृपया आपसे विनम्र निवेदन है-1. यह कि मैं प्रार्थिनी मंजुला तिवारी पत्नी श्री जितेन्द्रनाथ तिवारी निवासी डी-26, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर, थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ हूँ,2.यह कि मेरा पुत्र पुलस्त तिवारी वास्तव में एक शरीफ लड़का है किन्तु कतिपय स्थितियों में उस पर एससी एसटी एक्ट का एक मुकदमा थाना आशियाना में दर्ज हो गया था. उस समय हम E-3/762, सेक्टर-H, थाना आशियाना में रहते थे.3. यह कि इस घटना में मेरे पुत्र का नाम आने के बाद आशियाना पुलिस लगातार मेरे पुत्र को परेशान करने लगी तथा बिना किसी कारण एवं आधार के उस पर फर्जी मुकदमे लगाने लगी. इस प्रकार जब मेरे पुत्र पर स्थानीय पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ फर्जी मुकदमे देजे किये जाने लगे तो हमें थाने के ही कतिपय हमदर्द पुलिसवालों ने राय दी कि यदि हम अपने पुत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो हम आशियाना स्थित आवास छोड़ कर कहीं और चले जाएँ.4. यह कि हम अप्रैल 2007 से आशियाना स्थित आवास में रह रहे थे किन्तु जब अपने लड़के की बात आई तो हमने 12 साल से रह रहे इस इलाके को दिनांक 05/08/ 2019 को छोड़ दिया और हम वर्तमान आवास डी-26, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर, थाना गाजीपुर चले आये.5. यह कि इसी आवास पर दिनांक 09/08/2020 को समय लगभग 06-06,30 बजे दो पुलिसवाले आये और वे कई तरह के बहाने बना

कर मेरे पुत्र को अपने साथ ले गए. जी पुलिसवाले हमारे घर आये थे, उनमे ग्रे तथा सफेद धारी वाली टी शर्ट तथा बलू जीन्स पहने व्यक्ति के बारे में हमने जाना कि वह थाना आशियाना के दरोगा श्री महेश दुबे, मोबाइल नंबर 9335385589 तथा 9454400586 थे. दूसरे व्यक्ति आशियाना थाने के श्री मोहित सोनी, आरक्षी मोबाइल नंबर 8799222111 बताये गए हैं.6. यह कि इन दोनों पुलिसवालों ने कई तरह की बात बना कर मेरे पुत्र को अपने साथ चलने को मजबूर कर दिया और अपने साथ लाये काले रंग के एक क्रेटा कार में बैठा कर अपने साथ ले गए.7. यह कि हम इस घटना के बहुत अधिक डर व घबरा गए तथा हमारे परिवार वालों ने दिनांक 09/08/2020 को ही तत्काल अपने कई परिचित जिम्मेदार लोगों को फोन कर इस संबंध में सूचित किया. जिन लोगों को हमने फोन किया उनमे समय 18.34 बजे हस्ताक्षर मन्जुला दिवारी मन्जुला दिवारी हमने परिवार के अग्रज श्री जे पी तिवारी फोन नंबर 9452778644 को उसू समय फोन किया जब वे दोनों पुलिसवाले हमारे आवास पर मौजूद थे, इस फोन रिकर्डिंग में इन दोनों पुलिसवालें के चिल्लाने की आवाज भी है. इसके अलावा हमने जिन व्यक्तियों को फोन किया, उनमे समय 19.15 तथा 19.56 बजे शाम में हमारे अधिवक्ता श्री अजित सिंह चौहान फोन नंबर 9415010002, 19.45 बजे शाम में प्रयागराज में हमारे सम्बन्धी/ बच्चों के चाचा फोन नंबर 9415368046 आदि शामिल थे.8. यह कि अपने पुत्र का कोई ठिकाना नहीं मिलने पर हम उसे दूँढने निकल गए. मैं इस क्रम में थाना आशियाना भी गयी जहाँ मेरा पुत्र नहीं था. वहीं से मैंने समय लगभग 21.57 रात्रि अपनी लडकी से फोन में बात कर स्थिति बताई. इसके अलावा मेरी लड़की ने समय लगभग 11.18 बजे रात्रि को लखनऊ पुलिस कमिश्नर के फोन नंबर 9454400290 पर भी बात कर स्थिति से अवगत कराया.9. यह कि हमारे पास इन सभी बातचीत के कल रिकर्डिंग उपलब्ध हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे पुत्र को पुलिस शाम लगभग 06-06.30 बजे घर से उठा कर ले गयी. 10. यह कि हमें अगले दिन ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र को पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर दिखा कर पाव में गोली मार दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है, बाद में हम लोगों द्वारा किये गए प्रयास से हमें यह ज्ञात हुआ कि पुलिस द्वारा यह घटना दिनांक 09/08/2020 को समय 20.40 बजे की दर्शायी गयी है, जिसके सबंध में पुलिस ने थाना आशियाना पर दिनांक 10/08/2020 को समय 02.33 बजे मु0अ0स0 0408/2020 धारा 307 आईपीसी तथा मु0अ0स0 409/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दो मुकदमे दर्ज किये हैं.11. यह कि पुलिस दवारा दर्ज मुकदमों में यह दर्शाया गया है कि मेरा पुत्र तोंडेखेड़ा तिराहा पर बिना

नंबर की मोटरसाइकिल से जा रहा था तथा पुलिस दवारा चेकिंग के दौरान रोकने पर रेलवे क्रासिंग जोन-8 की तरह भागा तथा वहां जा कर उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिससे मेरे पुत्र के पाँव में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया. यह भी लिखा गया कि मेरे पुत्र ने अपना पता E-3/762, सेक्टर-H, आशियाना हाल पता सर्वोदय नगर बताया तथा मेरे पुत्र के पास से 315 बोर का एक कट्टा व कारतूस बरामद हुए एवं बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई.12.यह कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा एफआईआर तथा अपने जनरल डायरी में अंकित समस्त तथ्य पूरी तरह झूठे तथा फर्जी हैं. यह भी स्पष्ट है कि आशियाना थाने की पुलिस द्वारा न सिर्फ फर्जी कारण बता कर मेरे पुत्र को शाम में घर से उठा कर अगवा कर अनजान जगह पर छिपाया गया, फिर उसे रात्रि में एक नयी कगाह ले जाकर उसे फर्जी एनकाउंटर के नाम पर पाँव में गोली मारी गयी बल्कि उनके हस्ताक्षर मन्जुला तिवारी मन्जुला तिवारी द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में तमाम फर्जी कूटरचित अभिलेखों का सृजन भी किया गया . यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी गण द्वारा इस प्रक्रिया में अपने शासकीय अधिकारों का खुले तौर पर दुरूपयोग किया गया , अपने विधिक दायित्वों का पूर्ण उल्लघन किया गया, तथा स्पष्ट आपराधिक दुराचार किया गया, यह भी साफ है कि दोनो एफआई आर में नामित पुलिसकर्मियो ने इस प्रक्रिया में आपराधिक षड़यंत्र कर ये सब आपराधिक कृत्य किये तथा इस दौरान साक्ष्यों को छिपाने का भी आपराधिक कार्य किया.13. यह कि इसका कारण यह है कि पुलिस द्वारा दोनो एफआईआर में अंकित इन तथ्यों के विर्पित सत्यता यह है कि दिनांक 09/08/2020 को समय लगभग 06-06.30 बजे दो पुलिसवाले (संभवत: दरोगा श्री महेश दूबे तथा आरक्षी श्री बलवंत कुमार) हमारे घर आये और वे कई तरह के बहाने बना कर मेरे पुत्र को छलतथा छल के आधार पर अपने साथ ले गए हमारे पास पुलिस द्वारा मेरे बच्चे को ले जाने के कई प्रमाण है जिसमें मेरे , मेरे परिवार वालों तथा मोहल्ले वालो के मौखिक बयान तो है ही हम लोगों द्वारा अपने कई सम्बन्धियों, वकील तथा अन्य लोगों से इस संबंध में की गयी बातचीत के फोन रिकर्डिंग) भी हमारे पास है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरा पुत्र घर में जबरदस्ती उठा कर ले जाया गया था. इतना ही नहीं, हमारे पास मोहल्ले के पडोस के घर से प्राप्त सीसीटीवी फूटेज भी है जिसमे मेरा पुत्र साफ तौर पर दो पुलिसवालों दवारा ले जाया जाता दिख रहा है इनमें ग्रे सफेद धारीधार टी शर्ट तथा ब्लू जीन पहने श्री महेश दूबे कथित एनकाउंटर के मौके पर भी लगातार दिखे हैं। जिससे

संबंधित फोटो तथा विडियो हमारे पास उपलब्ध है.14. यह कि इन समस्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि मेरे पुत्र को जबरदस्ती हमारे घर से पुलिस द्वारा शाम में ले जाया गया तथा लगभग दो घंटे बाद फर्जी मुठभेड़ दर्शाते हुए उसे पाव में गोली मार कर गिरफ्तार दिखाया गया, इस प्रकार यह प्रकरण अवैध रूप से हिरासत में लेने, जबरदस्ती घर से ले जाने, बिना कारण आपराधिक रूप से गोली मारने. फर्जी मुक्दमों में फंसाने तथा इन कार्यों हेतु छूट कूटरचित शासकीय अभिलेख तैयार करने सहित अन्य गंभीर आपराधिक कृत्यों से जुड़ा है, जिन्हें मेरे द्वारा अपनी विधिक जानकारी के अनुसार अंकित किया गया है.15. यह कि अपराध धारा 120B (आपराधिक षड़यंत्र), 201 (साक्ष्य छिपाना), 143 144 (विधि विरुद्ध जमाव) 166,166A (लोक सेवक द्वारा विधि के विरुध्द निर्टेशों की अवज्ञा) 167 (लोक सेवक द्वारा अशुद्ध दस्तावेज रचना), 193, 195 199 (न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य रचना आदि) 323, 324,325 (घोर उपहति आदि), 341 (सदोष अवरोध) 342 (सदोष परिरोध) 346 (गुप्त स्थान में सदोष परिरोध) 367, 368 (घोर उपहति हेतु हस्ताक्षर मन्जुला तिवारी मन्जुला तिवारी व्यपहरण /परिरोध आदि) 465,466,471 (कूटरचना ,कूटरचित अभिलेख आदि) IPC आदि के जान पड़ते हैं।16 यह की स्पष्ट है कि ये समस्त कार्य अत्यंत गंभीर संज्ञेय अपराध है जिनमें शासकीय अधिकारों एवं पद तथा रसूख का खुला दुरुपयोग किया गया है.17.यह कि हमारे पास अपने आरोपों को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है तथा शेष साक्ष्य विवेचना के क्रम में स्वतः ही सामने आ जायेंगे 18.यह कि मैंने दिनांक 19/08/2020 को धारा 154(1) सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किये जाने विषयक एक प्रार्थनापत्र थाना गाजीपुर, लखनऊ कमिश्नरेट को दिया था जिसमे मैंने उपरोक्त समस्त तथ्य अत्यंत विस्तार से अंकित किये थे, किन्तु अब तक उस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, प्रार्थनापत्र दिनांक 19/08/2020 की प्रति संलग्नक 1 के रूप में इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है.19. यह कि कोई कार्यवाही नहीं होने पर मैने दिनांक 21/08/2020 को धारा 154(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किये जाने विषयक प्रार्थनापत्र की प्रति रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से पुलिस कमिश्नर लखनऊ को प्रेषित किया. प्रार्थनापत्र दिनांक 21/08/2020 तथा स्पीडपोस्ट के रसीद की प्रति संलग्नक 2 के रूप में इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है 20, यह कि इसके बाद भी अब तक थाना गाजीपुर अथवा पुलिस कमिशनर लखनऊ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तथा मेरी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गयी है जबकि मेरे प्रार्थनापत्र पर संज्ञेय अपराध स्पष्ट रूप से

बनता है.21.यह कि उक्त स्थितियों में मेरे पास अब मा0 कोर्ट के सम्मुख यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है 22. यह कि उपरोक्त तथ्यों से निम्न बातें स्थापित होती है-(i)मेरी शिकायत में प्रस्तुत तथ्यों से प्रथमदृष्टया संज्ञेय आपराधिक कृत्य किये जाने की बात सामने आती है(ii)मैंने थानाध्यक्ष गाजीपुर और पुलिस कमिश्नर लखनऊ की विधि के प्रावधानों के अधीन प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उनके स्तर पर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है.(iii) प्रकरण से सम्बंधित कतिपय तथ्य मेरे पास हैं लेकिन शेष अभिलेख और साक्ष्य मात्र विवेचक दवारा ही प्राप्त किये जा सकते है और मुझे किसी भी स्थिति में नहीं मिल सकते. उदाहरण के तौर पर घटनास्थल पर उपस्थित अभियुक्तों तथा मेरे एवेम मेरे संबंधी /परिचितों के सीडीआर, पुलिस की लोगबुक, पुलिस की जनरल डायरी, प्रत्येक कर्मी का हस्ताक्षर मन्जुला तिवारी मन्जुला तिवारी वास्तविक लोकेशन , पूरी घटना की वास्तविक स्थिति एवं घटनाक्रम आदि तमाम ऐसे तथ्य है जो मुझे किसी भी स्थिति में प्राप्त /ज्ञात/उपलब्ध नहीं हो सकते है और जिस हेतु पुलिस के स्तर विवेचना अनिवार्य है.

23. यह कि उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आलोक में मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 12/11/2013.को. Lalita Kumuri v Govt. of UP (2014) 2 SCC 1 में पारित निर्णय के क्रम में कृपया प्रकरण में प्रथमदृष्टया धारा 120B,201 ,143,144, 166, 166A, 167, 193, 195, 199, 323, 324, 325. 341, 342,346,367, 368, 465, 466 471 IPC आदि के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध कारित होने के कारण एफआईआर दर्ज कर विवेचना किये जाने के आदेश देने की कृपा करें.

24.यह कि तदनुसार सादर अनुरोध है । उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत कृपया धारा 156(3) सीआरपीसी में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए थानाध्यक्ष गाजीपुर को उपयोक्त एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विवेचना कराये जाने हेतु आदेशित करने की कृपा करे प्रार्थना उपरोक्त समस्त तथ्यों और साक्ष्यों के दृष्टिगत मेरे द्वारा दिनांक 19/08/2020 को धारा 154 (1) सीआरपीसी के अंतर्गत थाना गाजीपुर कमिश्नरेट को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

(संलग्नक 1) तथा दिनांक 21/8/2020 को धारा 154 (3) सीआरपीसी में अंतर्गत पुलिस कमिश्नर लखनऊ की प्रेषित प्रार्थना पत्र (संलग्नक2) के संबंध में श्रीमानजी धारा 156(3) सीआरपीसी में प्रदत्त शक्तियों का न्यायिक उपयोग करते हुए थानाध्यक्ष गाजीपुर को उपरोक्त प्रर्थना पत्र पर धारा 120B, 201. 143. 144, 166. 166A 167. 193. 195, 199, 323, 324. 325. 341,342,346. 367, 368, 465, 466.471

आईपीसी सहित विधि के अन्य सम्यक प्रावधानों के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर अग्रिम विवेचना किये जाने के आदेश निर्गत करने की कृपा करें. भवदीय,दिनांक-31/08/2020(मंजुला तिवारी) 5डी-26, सर्वोदय नगर,इंदिरा नगर, लखनऊ #8303323722, 8840949390 हस्ताक्षर मन्जुला तिवारी हस्ताक्षर अग्रेंजी अपठनीय द्वारा अधिवक्ता डा0 नूतन ठाकुर #9415534525 मोहर नोट प्रमाणित किया जाता है कि कायमी का0 राहुल मिश्रा पीएनओ नं0 112701299 द्वारा की गयी तथा कम्प्यूटर पर सिवाय तकनीकी त्रुटि के अंकित की गयी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Arun Kumar Yadav **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Paramhans Gupta

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 092450022

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष			-		**चेचक:** नहीं
2	पुरुष			-		**चेचक:** नहीं

3	पुरुष			-		**चेचक:** नहीं
4	अज्ञात			-		**चेचक:** नहीं
5	अज्ञात			-		**चेचक:** नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)